(01c)

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# अस्थाई खण्ड (प्र०प०) लो०नि०वि०
## चन्दौली

पत्रांक 09/1c/2022 | दिनांक 07/01/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग,रामनगर,
वाराणसी।

विषय :– जनपद चन्दौली में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 22.800 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनत मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/58/2021/एफ0सी0/295 दिनांक 10.08.2021**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आनलाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण–पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05–05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

| Sl No | Conditions | Reply/Enclosers |
|---|---|---|
| 1 | Legal status of the forest land shall remain unchanged. | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक :– 1)** |
| 2 | Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि के समतुल्य 19.62 हे0 गैर वन भूमि ग्राम जमसोत के कुल 9 गाटो को खतौनी में वन विभाग के नाम दर्ज करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक :– 2)** |
| 3 | Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 19.62 ha. equivalent non forest land in Jamsot Forest Block, Range Naugarh, District-Chandauli at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित इससे सम्बन्धित 19.62 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की निर्धारित कुल जमा धनराशि रू0 18893989.00/– में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 3054129.00 (रू0 तीस लाख चौवन हजार एक सौ उन्नीस) शामिल कर परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-UBIN0903710 Account No. 150906135291044 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3 व 4)** |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 4 | The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन भूमि के समतुल्य 19.62 हे0 गैर वन भूमि ग्राम जमसोत के कुल 9 गाटो को खतौनी में वन विभाग के नाम दर्ज करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक :– 2)** |
| 5 | The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित इससे सम्बन्धित 19.62 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की निर्धारित कुल जमा धनराशि रू0 18893989.00/– में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि के सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्थायी स्तंम्भों के निर्माण लागत हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 85000.00 (रू0 पचासी हजार) शामिल कर परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-UBIN0903710 Account No. 150906135291044 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3 व 4)** |
| 6 | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 19.62 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) . J. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (PLII) dated 18/09/2003, as well as letter No. 52/2006-FC dated OV10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित इससे सम्बन्धित 19.62 हे0 वन भूमि के सापेक्ष शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) कुल धनराशि रू0 15754860.00 कुल जमा धनराशि 18893989.00/– (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख तीरानबे हजार नौ सौ नवासी) मात्र में शामिल है जिसे परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-UBIN0903710 Account No. 1509061352910 44 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3 व 4)** |
| 7 | Additional amount of the NPV of the diverted forest land, If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government tram the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. | इस बिन्दु के अनुपालन में डायवर्ट की गई वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जिसे विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद देय हो, हेतु वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक–5)** |
| 8 | DFO should submit a "No violation Certificate' while submitting compliance. | शर्त संख्या–8 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नहीं है। |
| 9 | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है। **(संलग्नक–6)** |

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0ख0)
लो0नि0वि0, चन्दौली

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 10 | User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई व उच्चीकरण करना है, जिससे किसी वृक्ष को हानि नही होगी। क्षतिपूरन वनीकरण हेतु वन विभाग को धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। |
| 11 | Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas Forest Areas. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पीएमजीएसवाई के गाईडलाईन एवं मानक के अनुसार वाछित/स्वीकृत साईन बोर्डस लगाये जायेंगे। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्नक :– 7)** |
| 12 | The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/ FAC/REC. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग पूर्व में लेपित स्तर तक पूर्ण है। जिसका चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत है। इसमें किसी प्रकार के Under / Over Pass की आवश्यकता नहीं है। |
| 13 | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। |
| 14 | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. | इस बिन्दु के अनुपालन में सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान में बदलाव नहीं किया जाएगा हेतु वचनबद्धता संलग्न है। (संलग्नक :– 8) |
| 15 | No labor camp shall be established on the forest land. | इस बिन्दु के अनुपालन वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा हेतु वचनबद्धता संलग्न है।**(संलग्नक :– 9)** |
| 16 | Sufficient firewood, preferably the altenate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. | इस बिन्दु के अनुपालन में राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से इसे खरीदने के बाद उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन, श्रमिक को प्रदान किया जाएगा, हेतु वचनबद्धता संलग्न है।**(संलग्नक :– 10)** |
| 17 | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Division Forest Officer. | इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में गैर वन भूमि नामांतरित एवं हस्तांतररित करा दी गयी है, तथा बाउण्ड्री के सीमांकन एवं चिन्हांकन की धनराशि कैम्पा के अकॉउट में जमा कर दी गयी है। |
| 18 | No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the | इस बिन्दु के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु |

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र०ख०)
लो०नि०वि०, चन्दौली

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | project work | वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक :– 11)** |
| 19 | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favor of the user agency or the project life, whichever is less | इस बिन्दु के अनुपालन में इस अनुमोदन के तहत उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना की समाप्ति तक दी जाने वाली पट्टे की अवधि के साथ समाप्त होगी, इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक :– 12)** |
| 20 | The forest land shall not be used far any purpose other than that specified in the project proposal. | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक :– 13)** |
| 21 | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. | इस बिन्दु के अनुपालन में किसी भी परिस्थिति में सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। हेतु वचनबद्धता इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। **(संलग्नक :– 14)** |
| 22 | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. I1-42/2017-FC di 29012018. | – |
| 23 | Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. | – |
| 24 | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in/). | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित वनभूमि के समतुल्य 19.62 हे. गैरवनभूमि पर चिन्हांकन एवं सीमांकन क्षतिपूतरक वनीरकण तथा एन0पी0वी0 की कुल धनरशि धनराशि रू0 18893989.00/– (रू0 एक करोड़ अट्ठासी लाख तीरानबे हजार नौ सौ नवासी) मात्र परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-UBIN0903710 Account No. 150906135291044 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–3 व 4)** |

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (...)
लो0नि0वि0, चन्दौली

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 25 | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/) After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office. The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India. | इस बिन्दु के अनुपालन में आख्या संलग्नक सहित परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्डकापी 5 मूल प्रतियां प्रभागीय वनाधिकरी के कार्यालय में प्रेषित है। |

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यह निर्माण कार्य लीनियर प्रोजेक्ट होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करते हुए इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक**–उपरोक्तानुसार

o/c

**अधिशासी अभियन्ता**
**अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,**
**चन्दौली**

पत्रांक 09/1c/2022 दिनांक 07-01-2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली
2.अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी

o/c

**अधिशासी अभियन्ता**
**अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,**
**चन्दौली**

Scanned with CamScanner

संलग्नक–1

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–1 के अनुपालन वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

सरकारी प्रयोजन हेतु



प्रतिलिपि

# इन्तखाब खतौनी

ग्राम [illegible] पट्टी ..... परगना केरा मंगरौर तहसील [illegible] जिला चन्दौली बाबत सन् फसली 1429 से 1425 फसली तक

खतौनी की श्रेणी [illegible]

| खाता खतौनी | खातेदार का नाम पिता का नाम निवास स्थान | मुद्दत | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल | माल गुजारी | परिवर्तन सम्बधि आदेश (7–12) | दि0 दि0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 11 12 | 13 |
| 00050 | [illegible] | | 1मि. | 5.6320 | | [illegible] राजस्व संहिता 2006 [illegible] की धारा 57 की उपधारा (4) [illegible] राजस्व संहिता नियमावली–2016 [illegible] में आवंटित [illegible] अपने आधिपत्य में लेलाई / पुन [illegible] | |
| | | | 4मि. | 0.0490 | | | |
| | | | 6मि | 0.0980 | | | |
| | | | 8मि | 0.0580 | | | |
| | | | 9मि | 0.2080 | | | |
| | | | 32/1मि. | 0.0900 | | | |
| | | | 34 | 0.0290 | | | |
| | | | 41मि | 0.0540 | | | |
| | | | 44/13 | 0.0370 | | | |
| | | | 52 | 0.3600 | | | |
| | | | 55 | 0.0420 | | | |
| | | | 60/1 | 0.0320 | | | |
| | | | 62 | 0.1960 | | | |
| | | | 80 | 0.0730 | | | |
| | | | 82मि. | 1.5600 | | | |
| | | | 90 | 0.0730 | | | |
| | | | 91 | 0.2830 | | | |
| | | | 91/1 | 0.0550 | | | |

(P.T.O) (P.T.O)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0)
लो0नि0वि0, चन्दौली

संलग्नक–2 भाग–2

उपरोक्त.

| | | |
|---|---|---|
| १०४/१ - ०.१३६० | → | २४२मि०.०.१६०० |
| १०५ - ०.०४८० | | ३४६ - ०.०३२० |
| १०६ - १.८२१० | | ३४८ - १.१२६० |
| १११ - ०.०१२६ | | ३४१ - ६.५३०० |
| ११४ - ०.३४४० | | ३५५ - ०.१३२० |
| ११६ - ०.०१३० | | ३५५ - ०.८६१० |
| १०६ - ०.२४५० | | ३५८ - ०.३४५० |
| १५०मी ३.२०४० | | ३५९ - ५.४९८० |
| १५८मी १.८८०० | | ३६०/३ - ०.०३२० |
| १२०मी ३.६६२० | | ८५ - ०.८५१० |
| १५३/२ ०.१६५० | | योग ५८ - ४४.६६०० |
| १५३ - ०.०३२० | | |
| १५८ - ०.०३५० | | |
| १५६मि ०.२३२० | | |
| १५८ - ०.०४४० | | |
| १६० - ०.०८२० | | |
| १६५ - ८.१६५० | | |
| १६८ - ०.०५४० | | |
| १६०/१ - १.२३५० | | |
| १७८ - ०.०५४० | | |
| १५मि - ०.०८४० | | |
| २२०१ - ०.०८५० | | |
| २५०/१ ०.०५१० | | |
| ३१९/१ ०.०६२० | | |
| ३१८ - ०.०८६० | | |
| ३२० - ०.१३२० | | |
| ३२८ - ०.१०६० | | |
| ३३४ २.३५० | | |
| ३३५ - ०.०६५० | | |

सरकारी प्रयोजन हेतु :-

→ यदि किसी व्यक्ति दान पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निश्चित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भूमि पुनर्ग्रहीत ग्राम सभा में सम्मिलित हो जायेगी।

| क्रमांक | जिला | तहसील | पट्टी | ग्राम | खाता/खसरा नं० | क्षेत्र (है०) | भूमि श्रेणी | विवरण (प्रयोजन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | चमोली | थराली | पिंडरपार | [illegible] | 360/1 | 4.014 | 5-3-ख जंगल झाड़ी | [illegible] |
| 2 | " | " | " | " | 361 | 3.680 | " | [illegible] |
| 3 | " | " | " | " | 165 | 3.684 | " | [illegible] |
| 4 | " | " | " | " | 137 मि | 3.312 | " | [illegible] |
| 5 | " | " | " | " | 126 मि | 0.250 | " | [illegible] |
| 6 | " | " | " | " | 308 मि० | 0.806 | " | [illegible] |
| 7 | " | " | " | " | 89 | 0.774 | " | |
| 8 | " | " | " | " | 109 | 1.000 | " | |
| 9 | " | " | " | | 330 | 2.100 | " | |
| | | | | कुल योग | 9 गाटा | 19.620 | | |

09.12.2021

01.12.21

09.12.2012

अधिशासी अभियन्ता
अरथाई खण्ड (प्र0प0)
लो0नि0वि0, चमोली

# कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली

## आदेश

शासनादेश संख्या 744/एफ–1–2016 / 20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम 55 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजीव सिंह जिलाधिकारी, चन्दौली संलग्न अनुसूची मे उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ–9 में उल्लिखित प्रयोजन मे किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नही किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्रामसभा में सन्निहित हो जायेगी।

### अनुसूची

| क0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे0में) | भूमि की श्रेणी/प्रकृति | विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुर्नग्रहित की जा रही है) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | चन्दौली | नौगढ | केरामगरौर | जमसोत | 368/1 | 4.014 | 5–3–ख (जंगलझाड़ी) | सड़क के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण निर्माण के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु। |
| 2 | " | " | " | " | 361 | 3.680 | " | " |
| 3 | " | " | " | " | 165 | 3.684 | " | " |
| 4 | " | " | " | " | 137मि. | 3.312 | " | " |
| 5 | " | " | " | " | 126मि. | 0.250 | " | " |
| 6 | " | " | " | " | 358मि. | 0.806 | " | " |
| 7 | " | " | " | " | 89 | 0.774 | " | " |
| 8 | " | " | " | " | 109 | 1.000 | " | " |
| 9 | " | " | " | " | 330 | 2.100 | " | " |
| | योग– | | | | 9 गाटा | 19.620 | | |

(संजीव सिंह)
जिलाधिकारी,
चन्दौली

संख्या 834 /सात–स0भू0अ0/2021 दिनांक 16 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी।
2. अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड प्र0प0 लो0नि0वि0 चन्दौली।
3. उप जिलाधिकारी नौगढ, चन्दौली।
4. जिला बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चन्दौली।
5. तहसीलदार नौगढ, चन्दौली।

जिलाधिकारी, 16/11/21
चन्दौली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0)
लो0नि0वि0, चन्दौली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0)
लो0नि0वि0, चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–3

**AGENCY COPY**

यूनियन बैंक Union Bank

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 22-12-2021

| | |
|---|---|
| Agency Name. | EE PMGSY PWD CHANDAULI |
| Application No. | 6135291044 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UP/06/58/2021/FC |
| Location. | UTTAR PRADESH |
| Address. | Temporary Division (P.P.),PWD ChandauliChandauli |
| Amount(In Rs) | 18893989/- |

Amount in Words One Crore Eighty-Eight Lakh Ninety-Three Thousand Nine Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150906135291044 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**BANK COPY**

यूनियन बैंक Union Bank

**NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date : 22-12-2021

| | |
|---|---|
| Agency Name. | EE PMGSY PWD CHANDAULI |
| Application No. | 6135291044 |
| MoEF/SG File No. | 8B/UP/06/58/2021/FC |
| Location. | UTTAR PRADESH |
| Address: | Temporary Division (P.P.),PWD Chandauli Chandauli |
| Amount(In Rs) | 18893989/- |

Amount in Words One Crore Eighty-Eight Lakh Ninety-Three Thousand Nine Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | UBIN0903710 |
| Pay to Account No. | 150906135291044 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note.After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन लखनऊ रजनीश गौतम आई.डी. 5600677
31 DEC 2021
अधिकारी

Executive Engineer
Div (P P) PWD ...
Chandauli

SBIN321365830924

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0)
लो0नि0वि0, चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 4

| Sno. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UP/ROAD/35291/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/35291/2018) WIDENING & STRENGTHENING OF NAUGARH DHANKUWARI KALA TO KESAR ROAD FROM KM 0.00 TO 22.800 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.-NAUGARH, DISTT.-CHANDAULI BY TEMPORARY-DIVISION (P.P.), P.W.D., CHANDAULI (U.P.) | ROAD352912018044 | 6135291044 | 10 Aug 2021 | CA: 3054129/-, Addl CA: 0/-<br>PCA: 0/-, CAT: 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-<br>NPV: 15754860/-, For Permanent Bowdri Pillar: 85000/-<br>Other Charges1: 0/-<br>Other Charges2: 0/-<br>Other Charges3: 0/-<br>Total: 18893989/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 21 Dec 2021<br>Bank Name: Union Bank Of India<br>Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On: 22 Dec 2021<br>Transaction Date: 31 Dec 2021 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211220211446160673_FPUPROAD352912018_User_Fund_Demanded_X0677.p<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD352912018044) |
| 2 | FP/UP/ROAD/35276/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/35276/2018) WIDENING & STRENGTHENING OF NAUGARH TO CHAKARGHATTA ROAD FROM KM 0.00 TO 7.500 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.-NAUGARH, DISTT.-CHANDAULI BY TEMPORARY-DIVISION (P.P.), P.W.D., CHANDAULI (U.P.) | ROAD352762018789 | 6135276789 | 11 Jun 2020 | CA: 991421/-, Addl CA: 0/-<br>PCA: 0/-, CAT: 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-<br>NPV: 5420250/-, NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>Total: 6411671/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Nov 2020<br>Bank Name: Corporation Bank<br>Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On: 24 Nov 2020<br>Transaction Date: 25 Nov 2020 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111712531223CI2MTChakarghattard.pdf)<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD352762018789) |
| 3 | FP/UP/ROAD/35290/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/35290/2018) WIDENING & STRENGTHENING OF NAUGARH TO BANDH ROAD FROM KM 0.00 TO 12.000 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.-NAUGARH, DISTT.-CHANDAULI BY TEMPORARY-DIVISION (P.P.), P.W.D., CHANDAULI (U.P.) | ROAD352902018796 | 6135290796 | 11 Jun 2020 | CA: 1454110/-, Addl CA: 0/-<br>PCA: 0/-, CAT: 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-<br>NPV: 7949700/-, NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>Total: 9403810/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Nov 2020<br>Bank Name: Corporation Bank<br>Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On: 24 Nov 2020<br>Transaction Date: 25 Nov 2020 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111712551223SRQN6Bandhrd.pdf)<br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD352902018796) |

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (लो.नि.वि.)
लो०नि०वि० चन्दौली



Scanned with CamScanner

संलग्नक–5

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–7 के अनुपालन में डायवर्ट की गई वन भूमि की एनपीवी की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जिसे विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद देय हो, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक- 6

# Government of Uttar Pradesh
## Office of the District Collector
## Chandauli (U/P.)

No. 1 कैम्प EE/2019 III Dated 08/03/2019

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment & Forest (MoE&F), Govt. of India's, letter No. 11-09/98-FC (pt) dated : 28th October 2014, it is certified that Project envisages the use of 19.62 ha. Reserve Forest Land for diversion (under FCA-1980) for widening & Strengthening of Naugarh-Dhankuwari Kala to Kesar Road from Km.0.00 to 22.80 Under Road Conectivity Project on Left Wing Extermism Area (RCPLWEA) by Temporary-Division (P.P.), P.W.D. Chandauli (U.P.) Falls within villages- Kesar, Gangapur, Naugaon, Baghi, Naugarh, Bhaipur Bijaura, Chikani, Padhauti, Kanhura, Dhankuwari Kalan, Barhaspur, Khatkhariya, Jhariya Urf Haribandh, Mahadevpur, Bajardiha in Tehsil Naugarh, Distt. Chandauli.

It is further certifid that the forest land proposed to be diverted was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005. The located Villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 but having the recorded population of scheduled tribes as per the Census 2011. But "No" rights of Primitive of Tribal groups and Pre-agriculture Communities are being affected.

07/03/19
Divisional Forest Officer,
Kashi Wild Life Division,
Ramnagar, Varanasi.

V.N.Yadav
Executive Engineer
Ty. Div. (P.P.) P.W.D.,
Mughalsarai, Chandauli.

7/3/19
District Magistrate
Chandauli.
(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी
चन्दौली

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0)
लो0नि0वि0, चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–7

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तो के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों के वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–8

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तो के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–14 के अनुपालन में केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान में बदलाव नहीं किया जाएगा, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक-9

# वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या- 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11-सी- FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या-15 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–10

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–16 के अनुपालन में राज्य वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से इसे खरीदने के बाद उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पर्याप्त जलाऊ लकड़ी, अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन, श्रमिक को प्रदान किया जाएगा, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–11

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–12

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तो के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–19 के अनुपालन में इस अनुमोदन के तहत उपयोगकर्ता एजेंसी या परियोजना की समाप्ति तक दी जाने वाली पट्टे की अवधि के साथ समाप्त होगी, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–13

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–20 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–14

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ धनकुवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 22.800 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 19.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/ROAD/35291/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 25 (पच्चीस) शर्तों के अधीन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 482/11–सी– FP/UP/ROAD/35291/2018, लखनऊ दिनांक अगस्त 11,2021 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–21 के अनुपालन में किसी भी परिस्थिति में सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(इं0 डी0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

# प्रमाण पत्र

जनपद चन्दौली के नौगढ़–धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के किमी0 0.00 से 22.80 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांन्तिक स्वीकृति के अनुपालन हेतु पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास के हित में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर–वाराणसी

(इं डी0पी0 सिंह),
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0,
चन्दौली।

Scanned with CamScanner

# प्रमाण पत्र

जनपद चन्दौली के नौगढ़–धनकुंवारीकला से केसार सम्पर्क मार्ग के किमी0 0.00 से 22.80 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 19.62 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांन्तिक स्वीकृति के अनुपालन हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

(इं डी0पी0 सिंह),
अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0,
चन्दौली।

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

Scanned with CamScanner